



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की
निष्पादन लेखापरीक्षा
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)



मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)
(स्वायत्त निकाय)
2013 का प्रतिवेदन सं. 32
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की
निष्पादन लेखापरीक्षा
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)
(स्वायत्त निकाय)
2013 का प्रतिवेदन सं. 32
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v-viii
अध्याय I	प्रस्तावना	1-5
अध्याय II	वित्तीय प्रबंधन	6-18
अध्याय III	आवर्तन एवं नामांकन	19-24
अध्याय IV	योगदान एवं वसूली	25-35
अध्याय V	ग्राहकों के खातों का अनुरक्षण	36-40
निष्कर्ष		41-42
अनुबंध		43-44

प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं, को संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

क.भ.नि.सं. तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (उ.क्षे.का.) के निष्पादन लेखापरीक्षा 2006-07 से 2011-12 हेतु इनके अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की गई थी। क.भ.नि.सं. के लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों क.भ.नि.सं. के साथ-साथ मंत्रालय को जारी कर दी गई थीं तथा उनके उत्तरों पर विचार किया गया है तथा उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ विधि निर्माण किए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 इस संबंध में एक आवश्यक अधिनियम है। अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची-1 में उल्लेखित उद्योगों में बीस अथवा अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले कारखानों अथवा स्थापनाओं में अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन तथा जमा समायोजित बीमा का प्रावधान करता है। भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से अधिनियम को नियंत्रित करती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गए हैं:

- क.भ.नि. योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को शामिल करने की वेतन सीमा ₹6500 थी जो जून 2001 से चली आ रही है।

(पैराग्राफ 2.1)

- केन्द्र सरकार से अंशदानों की प्राप्ति में संगत कमियां थी।

(पैराग्राफ 2.1.2)

- प्रशासनिक प्रभारों, आदि के माध्यम से संग्रहित क.भ.नि.सं. की आय योजनाओं को चलाने हेतु इसके व्यय से अधिक रही है।

(पैराग्राफ 2.1.3)

- 'ब्याज उंचत लेखे' में शेष संगत रूप से मार्च 2007 में ₹ 12445.29 करोड़ से मार्च 2011 में ₹ 22461.15 करोड़ तक बढ़ा।

(पैराग्राफ 2.3)

- क.भ.नि.सं. ने निवेशों के निर्धारित प्रतिमानों का अनुपालन नहीं किया था।

(पैराग्राफ 2.5)

- कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन समय पर नहीं किया जा रहा है, न ही रिपोर्ट समयबद्ध पद्धति में प्राप्त हुई हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों पर कार्रवाई में काफी विलम्ब है।

(पैराग्राफ 2.6)

- क.भ.नि.सं. अपनी योजनाओं के स्वैच्छिक आवृतन के प्रति अधिक प्रोत्साहक नहीं था। स्थापनाओं का निरीक्षण निर्धारित लक्ष्यों से कम था, जो स्थापनाओं पर अपर्याप्त नियंत्रणों का कारण बना।

(पैराग्राफ 3.3 तथा 3.4)

- 31 मार्च 2012 को पांच राज्यों के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का में 20974 स्थापनाओं से क.भ.नि. बकाया के कारण ₹ 313.20 करोड़ की कुल राशि वसूलीनीय थी।

(पैराग्राफ 4.3)

- 2006-07 से 2011-12 के दौरान गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं से क्षतियों की वसूली के प्रति बकाया ₹ 151.78 करोड़ से ₹ 265.75 करोड़ तक बढ़ा।

(पैराग्राफ 4.5)

- छूटप्राप्त स्थापनाओं के नियाक्ताओं ने अपने संबंधित ट्रस्टी बोर्डों को ₹ 129.20 करोड़ जमा नहीं किए थे। 249 छूटप्राप्त स्थापनाओं के ट्र.बो. द्वारा ₹ 299.78 करोड़ की राशि का निवेश नहीं किया गया था जो छूट के प्रावधानों के उल्लंघन में था।

(पैराग्राफ 4.6.1 तथा 4.6.2)

- 70,000 से अधिक अंशदाताओं के खातों में कुल ₹ 45.06 करोड़ का नकारात्मक शेष था, जो उपलब्ध शेष से अधिक आहरण का सूचक है। अप्राधिकृत आहरण की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता।

(पैराग्राफ 5.2)

- निष्क्रिय/अदावत जमा खातों में शेष 2006-12 के दौरान ₹ 332.14 करोड़ से ₹ 2948.11 करोड़ तक बढ़ा। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों की संख्या 2006-07 में 25,12,793 से 2011-12 में 73,00,262 तक बढ़ी।

(पैराग्राफ 5.4)

अनुशंसाओं का सार

- वेतन सीमा को नियमित अन्तराल पर उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।
- केन्द्र सरकार को समय पर क.भ.नि.सं. को उनका अंशदान प्रेषित करना चाहिए।
- क.भ.नि.सं. उपयुक्त रूप से अपने प्रशासनिक प्रभारों का संशोधन करें।
- क.भ.नि.सं., सा.वि.नि. में प्रावधानों के अनुसार उचित सावधानी सहित बजट अनुमान तैयार करें। मंत्रालय संस्वीकृति प्रदान करने से पहले पर्याप्त रूप से बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करें।
- क.भ.नि.सं. को अपने अंशदाताओं को ब्याज भुगतान के साथ अपनी आय का सावधानी से मिलान करना चाहिए।
- सरकार को लम्बित मूल्य निर्धारक की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए तथा क.पें.यों खातों पर इसका प्रभाव निर्धारण करना चाहिए तथा आवश्यक संशोधन करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया प्रतिवर्ष नियमित तथा सामयिक आधार पर की जानी चाहिए तथा उसके प्रभाव को प्रकट करना चाहिए।
- आंकड़ों का समाधान करने हेतु मंत्रालय उपयुक्त कार्रवाई करें।
- समितियों की न्यूनतम बैठक निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।
- क.भ.नि.सं. को लक्ष्यों की गहन मानीटरिंग तथा स्थापनाओं का नियमित सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करने हेतु अनुपालना को सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे स्वैच्छिक आवृत्तन की इच्छा करने वाली स्थापनाओं का स्वागत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचनाएं समयबद्ध प्रकार से जारी की गई हैं।
- क.भ.नि.सं. को डी.सी.बी.आर. का समाविष्ट अद्यतन सुनिश्चित करना चाहिए, उपयुक्त चूककर्ता सूची तैयार करनी चाहिए तथा वसूलियां प्रारम्भ करनी चाहिए।
- क.भ.नि.सं., भा.स्टे.बैं. द्वारा इसके जमाओं के सामयिक प्रेषण को मॉनीटर करें।

- क.भ.नि.सं. को, यह सुनिश्चित करने हेतु कि निष्क्रिय खातों की संख्या न्यूनतम है, स्थिर मानीटरिंग तथा नियंत्रण क्रियाविधि हेतु एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।
- अंशदाताओं के खातों का अद्यतन नियमित आधार पर किया जाना चाहिए।

अध्याय-I: प्रस्तावना

कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के प्रख्यापन के साथ अस्तित्व में आया, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 से बदला गया तथा जिसको अब कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (अधिनियम) के रूप में पुनः नामित किया गया, तथा इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में किया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) अधिनियम के अंतर्गत तैयार तीन योजनाओं नामतः कर्मचारी भविष्य निधि योजना (क.भ.नि.), कर्मचारी पेंशन योजना (क.पें.यो.) तथा कर्मचारी जमा संयोजित बीमा योजना (क.ज.सं.बी.) के कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व से निहित है। क.भ.नि.सं. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।

1.1 क.भ.नि.सं. के उद्देश्य तथा कार्य

क.भ.नि.सं. का उद्देश्य भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा लाभ के रूप में नौकरी करने वालों को सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करना है। क.भ.नि.सं. के विस्तृत कार्य निम्नानुसार हैं:

- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को लागू करना;
- ट्रस्ट में पड़े धन का प्रबंधन तथा वसूली; तथा
- योजना के सदस्यों को संतोषजनक सेवा प्रदान करना।

1.2 योजनाओं की प्रायोज्यता

अधिनियम तथा योजनाओं के प्रावधान अनुसूची I¹ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्थापना जो 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, पर लागू है। अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत तथा 50 व्यक्तियों से कम को रोजगार

¹ कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत अनुसूची I उद्योगों तथा स्थापनाओं की श्रेणियों की सूची प्रदान करती है जिनमें अधिनियम लागू है।

प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता तथा वह बिना किसी सहायता के कार्य कर रहा हो।

31 मार्च 2007 को क.भ.नि. के 4.44 करोड़ सदस्य, 26.53 लाख पेंशन लाभभोगी तथा 4.72 लाख स्थापनाएं थीं जो 31 मार्च 2012 तक क.भ.नि. के 8.55 करोड़ सदस्य, 41.03 लाख पेंशन लाभभोगी तथा 6.91 लाख स्थापनाओं तक बढ़ी।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

क.भ.नि.सं. अध्यक्ष (संघ श्रम मंत्रालय), उपाध्यक्ष, केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे पांच सदस्यों, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे 10 सदस्यों तथा प्रत्येक नियोक्ता एवं कर्मचारी का प्रतिनिधित्व कर रहे 10 सदस्यों से बने केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड (के.ट्र.बो.) द्वारा नियंत्रित है।

के.ट्र.बो. की सहायता केन्द्र सरकार तथा चार उप-समितियों नामतः (क) वित्त एवं निवेश समिति; (ख) छूट प्राप्त स्थापना पर समिति; (ग) पेंशन कार्यान्वयन समिति तथा (घ) तकनीकी समिति अथवा सू.प्रौ. सुधारों की कार्यान्वयन समिति से बनी कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त क.भ.नि.सं. का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा के.ट्र.बो. का पदेन सदस्य होता है। योजनाओं का कार्यान्वयन नई दिल्ली में इसके केन्द्रीय कार्यालय, पूरे देश में फैले 40 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) तथा 80 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (उ.क्षे.का.) के माध्यम से किया जाता है। क.भ.नि. योजना के.ट्र.बो. को सलाह देने हेतु प्रत्येक राज्य के लिए क्षेत्रीय समितियों के गठन का प्रावधान करती है।

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

यह लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 5क (6) के तहत की गई।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा क.भ.नि.सं. द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता का निर्धारण करने हेतु की गई थी।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में क.भ.नि.सं. के केन्द्रीय कार्यालय, 40 में से 26 क्षे.का. (65 प्रतिशत), 80 में से 49 उ.क्षे.का. (61 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जांच शामिल है (ब्यौरे अनुबंध में)। राज्यों जिनमें दो या दो से अधिक क्षे.का. हैं, में से संबंधित उ.क्षे.का. सहित न्यूनतम दो क्षे.का. तथा अन्य राज्यों में संबंधित उ.क्षे.का. सहित क्षे.का. का चयन लेखापरीक्षा हेतु किया गया था।

तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को इन राज्यों में स्थापनाओं के कम घनत्व के कारण शामिल नहीं किया गया।

अप्रैल 2006 से मार्च 2012 की अवधि में किए गए कार्यों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई थी।

1.7 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित से प्राप्त हुए थे:

- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952;
- कर्मचारी जमा संयोजित बीमा योजना, 1976;
- कर्मचारी पेंशन योजना 1995;
- क.भ.नि.सं. नियमपुस्तिका जैसे कि लेखांकन प्रक्रिया नियमपुस्तिका, निरीक्षक नियमपुस्तिका, वसूली नियमपुस्तिका;
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 सहित भारत सरकार के नियम एवं विनियम;
- केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश।

1.8 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा केन्द्रीय कार्यालय में, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 20 सितम्बर 2011 को प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ की गई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा मापदण्ड की व्याख्या की गई। क.भ.नि.सं. के अभिलेखों की जांच सितम्बर 2011 से अप्रैल 2012 के दौरान की गई थी।

मई 2012 में क.भ.नि.सं. तथा मंत्रालय को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा जारी किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा करने हेतु 22 नवम्बर 2012 को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ निर्गम सम्मेलन हुआ था। क.भ.नि.सं. से नवम्बर 2012 में उत्तर प्राप्त किए गए थे। संशोधित तथा अद्यतन मसौदा 1 जुलाई 2013 को क.भ.नि.सं. तथा मंत्रालय को जारी किया गया था जिसके उत्तर जुलाई 2013 से सितम्बर 2013 के दौरान प्राप्त हुए थे। उत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.9 इस निष्पादन लेखापरीक्षा तथा पहले की निष्पादन लेखापरीक्षाओं के मूलाधार

क.भ.नि.सं. का कुशल कार्य अंशदाताओं की बड़ी संख्या को प्रभावित करता है तथा 2010-11 के दौरान अंशदाताओं के खातों में ब्याज न डालने, जिसका परिणाम ब्याज उचित लेखों में संचयन में हुआ, दावों के निपटान में विलम्ब, के.ट्र.बो. द्वारा ब्याज की उच्च दरों की घोषणा आदि के संबंध में रिपोर्टें थीं। इन संदर्भों एवं उचित जोखिम विश्लेषणों के पश्चात, क.भ.नि.सं. की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रारम्भ की गई थी।

1.10 क.भ.नि.सं. से संबंधित पहले की निष्पादन लेखापरीक्षा, 2000 में नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुई। कम्प्यूटरीकृत कर्मचारी पेंशन प्रणाली साफ्टवेयर के संबंध में एक लघु लेखापरीक्षा समीक्षा 2006 में नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुई। इनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नि.म.ले.प. प्रतिवेदन सं.	विषय	वर्तमान स्थिति
1.	2000 की 4 (संघ सरकार सिविल - स्वायत्त निकाय)	1993-94 से 1998-99 के लिए क.भ.नि.सं. की निष्पादन लेखापरीक्षा	मंत्रालय ने नवम्बर 2003 में कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत की।
2.	2006 की 3, पैरा 10.1 (संघ सरकार सिविल - स्वायत्त निकाय)	कोलकाता में कम्प्यूटरीकृत पेंशन प्रणाली साफ्टवेयर पर सू.प्रौ. लेखापरीक्षा	मंत्रालय ने सितम्बर 2011 में कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत की।

पहले की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2000) में इंगित मुख्य कमियाँ थीं:

- आवृत्तन हेतु स्थापनाओं की पहचान में विलम्ब;
- निरीक्षणों में कमी;
- बकायों के निर्धारण में अनुचित विलम्ब;
- वसूली तथा बकाया राशियों के लेखांकन की निगरानी हेतु माँग, संग्रहण तथा शेष रजिस्टर (मां., सं. शे. र.) का गैर-अनुरक्षण;

- आवृत स्थापनाओं के संबंध में भ.नि. अंशदान के बकाया तथा प्रशासनिक प्रभारों में वृद्धि;
- अप्रभावी वसूली प्रक्रियाओं के कारण राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के अनिर्णय में वृद्धि;
- ब्याज उचंत लेखे (ब्या.उ.ले.) में वृद्धि।

कार्यवाही टिप्पणियों में, मंत्रालय ने क्रमशः नवम्बर 2003 तथा सितम्बर 2011 में प्रतिवेदनों के निष्कर्षों पर शोधक उपाय करने का आश्वासन दिया था। तथपि, वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि उपरोक्त अधिकांश कमियां अभी भी निरंतर हैं।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना

प्रतिवेदन की स्थिति निम्नानुसार है:-

- अध्याय 2 - वित्तीय प्रबंधन, संग्रहित अंशदान तथा केन्द्र सरकार के अंश में कमी, बजटीय प्रक्रिया, आय, व्यय तथा आधिक्य, वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण, ब्याज उचंत लेखा तथा निवेश प्रतिमान को न अपनाने के मामलों को उजागर करता है।
- अध्याय 3 - आवृतन तथा नामांकन, स्थापनाओं के आवृतन तथा सर्वेक्षण एवं निरीक्षणों में कमी, स्वैच्छिक आवृतन क्रियाविधि के कार्य करने के मामलों को उजागर करता है।
- अध्याय 4 - अंशदान तथा वसूलियां, बकाया/वसूलियों तथा शुल्क, दण्डों एवं क्षतियों आदि के उद्ग्रहण के मामलों को उजागर करता है।
- अध्याय 5 - अंशदाताओं के खातों का अनुस्क्षण, अंशदाताओं के खातों में नकारात्मक शेषों, खातों का गैर-अद्यतन आदि जैसी कमियों को उजागर करता है।

अध्याय 3, 4, तथा 5 में जहाँ राज्यों से विस्तृत वर्ष-वार सूचना उपलब्ध थी, इसका उचित रूप से विश्लेषण किया गया तथा प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है।

1.12 आभार प्रकट

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, क.भ.नि.सं. के केन्द्रीय कार्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है।

अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन

2.1 अंशदान की दरें तथा वेतन सीमा

क.भ.नि.सं. अपनी योजनाओं के प्रचालन हेतु (क) नियोक्ताओं से अंशदान (कर्मचारी के अंश सहित) तथा (ख) आवृत स्थापनाओं से प्रशासनिक प्रभार एकत्रित करता है। योजनाओं के अंतर्गत वेतन¹ के प्रतिशत के अनुसार अंशदान दरें हैं:

तालिका-2.1: अंशदान की दरें (वेतन के प्रतिशत में)

	अंशदान लेखा				प्रशासनिक लेखा		
	क.भ.नि.	क.पे.यो.	क.ज.सं.बी.	योग	क.भ.नि.	क.ज.सं.बी.	योग
नियोक्ता	3.67	8.33	0.5	12.5	1.10	0.01	1.11
कर्मचारी	12.00	शून्य	शून्य	12.00	शून्य	शून्य	शून्य

स्थापनाएं, जिन्हें क.भ.नि. योजना से छूट प्राप्त है, को क.भ.नि. हेतु वेतन का 0.18 प्रतिशत निरीक्षण प्रभार तथा क.ज.सं.बी. हेतु वेतन का 0.005 प्रतिशत अदा करना अपेक्षित है।

केन्द्र सरकार भी क.पे.यो. के सदस्यों के वेतन के 1.16 प्रतिशत का अंशदान करती है।

इस प्रकार, नियोक्ता, कर्मचारी तथा केन्द्र सरकार सभी तीन योजनाओं के अंतर्गत शामिल एक लाभभोगी हेतु अंशदान लेखे में वेतन का क्रमशः 12.5 प्रतिशत², 12 प्रतिशत तथा 1.16 प्रतिशत का अंशदान करते हैं।

क.भ.नि. योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के आवृतन हेतु वेतन सीमा ₹ 6500 थी जो जून 2001 से चली आ रही है जो इस प्रकार इस सीमा से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की बड़ी संख्या को क.भ.नि. के लाभ से इंकार करता है। ई.एस.आई. अर्थात् अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु वेतन सीमा भी ₹ 15,000 थी। क.भ.नि.सं. ने बताया (दिसम्बर 2013) कि वर्तमान वेतन सीमा को बढ़ाने से संबंधित मामला मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

¹ वेतन में प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (छूट के नकद मूल्य सहित) तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है।

² अस्वस्थ इकाईयों जैसी स्थापनाओं अथवा स्थापनाएं, जिन्होंने हानियाँ की हैं, आदि की कुछ श्रेणियों हेतु अंशदान की दर कम है।

अनुशंसा: वेतन सीमा का नियमित अंतराल पर उपयुक्त रूप से संशोधन करें।

2.1.1 संग्रहित अंशदान

अनुवर्ती पैराग्राफ में दिए गए निर्धारित दरों के आधार पर, अंशदान लेखों के अंतर्गत संग्रहण निम्नानुसार था:

तालिका-2.2: संग्रहित अंशदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भविष्य निधि	14,414.01	18,782.30	23,246.60	26,558.20	32,494.40	39,265.50
कर्मचारी पेंशन निधि						
I) नियोक्ता का अंश	6,710.66	8,022.46	9,320.56	9,930.52	11,587.94	13,417.47
II) सरकार का अंश	1,340.00	990.00	1,167.22	994.00	1,300.00	1,350.00
कुल	8,050.66	9,012.46	10,487.78	10,924.52	12,887.94	14,767.47
कर्मचारी जमा संयोजित बीमा योजना						
नियोक्ता का अंशदान	250.65	308.44	368.40	423.22	480.00	566.40

2.1.2 क.पें.यो. में केन्द्र सरकार के अंश में कमी

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का पैरा 3 प्रावधान करता है कि केन्द्र सरकार भी वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर पर अंशदान करेगी तथा अंशदान को कर्मचारी पेंशन निधि में जमा करेगी। क.भ.नि.सं. वर्ष के आरम्भ में इस संबंध में मंत्रालय को दावा प्रस्तुत करता है।

तथापि, यह पाया गया था कि 2006-07 से 2011-12 के दौरान प्रस्तुत दावों के प्रति केन्द्र सरकार से अंशदानों की प्राप्ति में निरंतर कमी थीं जैसा कि नीचे दिया गया है:-

तालिका-2.3: क.पें.यो. में केन्द्र सरकार अंश में कमी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में सरकारी अंश का बकाया	वर्ष के दौरान जोड़े गए दावे	कुल दावे	वर्ष के दौरान सरकार से प्राप्त अंशदान	अंशदान में कमी	प्रतिशत कमी (कॉलम 6X100 कॉलम4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006-07	870.57	934.50	1805.07	1340.00	465.07	25.76
2007-08	465.07	1117.17	1582.24	990.00	592.24	37.43
2008-09	592.24	1297.94	1890.18	1167.22	722.96	38.25

2009-10	722.96	1382.88	2105.84	994.00	1111.84	52.80
2010-11	1111.84	1613.69	2725.53	1300.00	1425.53	52.30
2011-12	1425.53	1868.46	3293.99	1350.00	1943.99	59.02

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सरकारी अंश की प्राप्ति में कमियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी। 31 मार्च 2012 को केन्द्र सरकार से ₹ 1943.99 करोड़ की राशि बकाया थी।

क.भ.नि.सं. ने प्रारम्भ (जनवरी 2013) में बताया कि क.पें.यो.'95 एक निधिबद्ध योजना है तथा केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अंशदान में विलम्ब का पेंशन बाध्यताओं पर कोई तुरंत प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इसने बाद में बताया (अगस्त 2013) कि मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के अंश के बकायों के प्रति ₹ 1943.99 करोड़ की राशि की संस्वीकृति प्रेषित की थी।

प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में क.भ.नि.सं. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंशदान की प्राप्ति में कमी ने निवेश तथा उस पर ब्याज सहित क.पें.यो. कॉर्पस को प्रभावित किया।

अनुशंसा: केन्द्र सरकार को समय पर क.भ.नि.सं. को अपना अंशदान प्रेषित करना चाहिए।

2.1.3 प्रशासनिक लेखा: आय, व्यय तथा आधिक्य

क.भ.नि.सं. की मुख्य आय प्रशासनिक प्रभारों तथा निरीक्षण प्रभारों, दण्डनीय क्षतियों अथवा ब्याज तथा निवेशों पर ब्याज के माध्यम से प्राप्त होती है। योजनाओं अर्थात् क.भ.नि., क.पें.यो. तथा क.ज.सं.बी. को चलाने हेतु क.भ.नि.सं. द्वारा अपनी स्थापना पर व्यय किया जाता है।

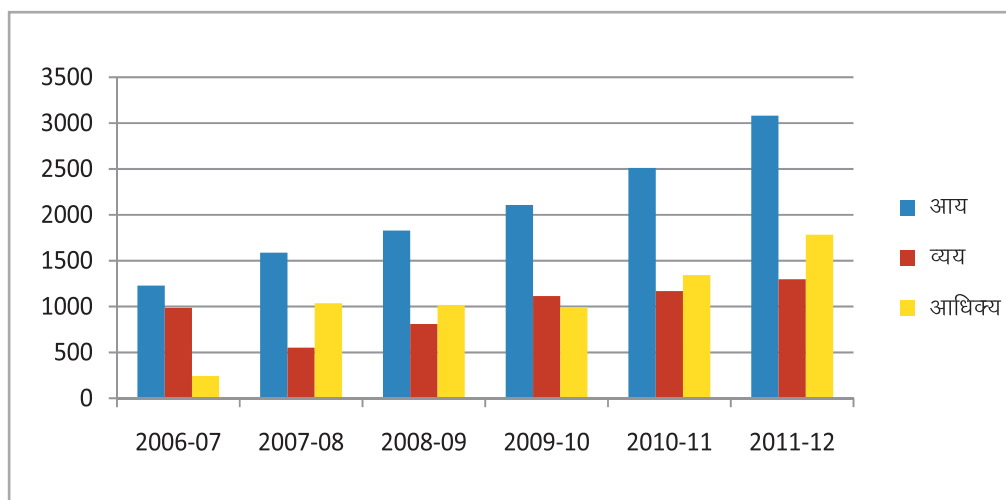
आय, व्यय तथा आधिक्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 2.4: आय एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आय	कुल व्यय	व्यय के अतिरिक्त आय का आधिक्य	कुल व्यय अतिरिक्त आय का आधिक्य (प्रतिशत में)
2006-07	1229.91	985.81	244.10	25
2007-08	1587.71	551.57	1036.14	188
2008-09	1828.65	809.66	1018.99	126
2009-10	2107.60	1115.04	992.56	89
2010-11	2509.70	1168.43	1341.27	115
2011-12	3081.50	1298.84	1782.66	137

उपरोक्त सूचना को नीचे ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है:-



इस प्रकार, प्रशासनिक प्रभारों, आदि के माध्यम से संग्रहित क.भ.नि.सं. की आय पर्याप्त तथा संगत रूप से योजनाओं को चलाने पर हुए व्यय से अधिक रही है। 31 मार्च 2012 को, प्रशासनिक लेखे पर क.भ.नि.सं. का संचित आधिक्य ₹ 8558.08 करोड़ था।

अनुशंसा: क.भ.नि.सं. उचित रूप से अपने प्रशासनिक प्रभारों का संशोधन करे।

2.2 बजट

आयुक्त क.भ.नि.सं. का बजट तैयार करता है तथा पूर्वगामी वर्ष की 15 फरवरी तक के.द्र.बो. के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे फिर स्वीकृति हेतु मंत्रालय को भेजा जाता है (अधिनियम की धारा 58)। सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) बजट तैयार करने पर दिशानिर्देश प्रदान करती है तथा निर्दिष्ट करती है कि बजट को उचित ध्यान से तैयार किया जाना चाहिए (सा.वि.नि., 2005 का नियम 3)।

2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.), संशोधित अनुमानों (सं.अ.) तथा वास्तविक व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-2.5: बजट में आधिक्य/बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ. एवं सं.अ. के बीच विचलन		वास्तविक व्यय*	आधिक्य (+)/ बचतें(-) (सं.अ. के संबंध में प्रतिशत)	आधिक्य (+)/ बचतें (-) (ब.अ. के संबंध में प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशतता			
2006-07	733.22	1090.07	356.85	48.67	1011.37	<u>(-) 78.70</u>	<u>(+) 278.15</u>
						7.22	37.94
2007-08	956.66	842.66	(-) 114.00	(-)11.92	586.25	<u>(-) 256.41</u>	<u>(-) 370.41</u>
						30.43	38.72
2008-09	959.25	1027.04	67.79	7.07	819.89	<u>(-) 207.15</u>	<u>(-) 139.36</u>
						20.17	14.53
2009-10	1231.67	1502.57	270.90	21.99	1125.39	<u>(-) 377.18</u>	<u>(-)106.28</u>
						25.10	8.63
2010-11	1514.62	1708.61	193.99	12.81	1198.39	<u>(-) 510.22</u>	<u>(-)316.23</u>
						29.86	20.88
2011-12	1761.40	1925.82	164.42	9.33	1338.33	<u>(-) 587.49</u>	<u>(-)423.07</u>
						30.51	24.02

*पूँजीगत व्यय सहित

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान संशोधित अनुमानों के संदर्भ में 7.22 प्रतिशत से 30.51 प्रतिशत की बचत थी।
- वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान, वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम था तथा बजट अनुमानों के संदर्भ में बचतों की प्रतिशतता 8.63 तथा 38.72 प्रतिशत के बीच थी।
- वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान, यद्यपि संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से अधिक था परंतु वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से भी कम था।

व्यय में कमी मुख्य रूप से निम्नलिखित मुख्य शीर्षों में थीं - राजस्व, आकस्मिकताएं तथा विविध स्टाफ कल्याण निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, कम्प्यूटरीकरण तथा पूँजीगत व्यय।

मंत्रालय में बजट की स्वीकृति की प्रक्रिया की संवीक्षा करते समय यह भी देखा गया था कि मंत्रालय ने बजट प्रस्तावों को वैसे ही स्वीकृत किया जैसे वह क.भ.नि.सं. द्वारा प्रस्तुत किया गया था अर्थात् बिना किसी पर्यवेक्षण की भूमिका को पूरा किए।

इस प्रकार बजटीय प्रक्रिया में खामियां थीं।

क.भ.नि.सं. ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया में भविष्य में सुधार हेतु अभ्युक्तियों को नोट किया (नवम्बर 2012)।

अनुशंसा: क.भ.नि.सं., सा.वि.नि. में प्रावधानों के अनुसार उचित ध्यान सहित बजट अनुमान तैयार करे। मंत्रालय संस्वीकृति प्रदान करने से पहले पर्याप्त रूप से बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करे।

2.3 ब्याज उचंत लेखा

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का पैरा 51 प्रावधान करता है कि सभी ब्याज, किराया तथा अन्य प्राप्त आय, तथा बिक्री अथवा निवेश से निवल लाभ अथवा हानियों, यदि कोई हो, जिसमें प्रशासनिक लेखे का लेन-देन शामिल न हो, को एक लेखे जिसे ब्याज उचंत लेखा (ब्या.उ.ले.) कहा जाता है में क्रेडिट अथवा डेबिट, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

लेखांकन प्रक्रिया नियमपुस्तिका के पैरा 6.1.10 के अनुसार ब्या.उ.ले. को सही प्रकार से तथा तुरंत बनाया जाना है क्योंकि कोई भी चूक/जानबूझकर की गई कार्यवाही अंशदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

ब्या.उ.ले. केन्द्रीय कार्यालय में संचालित एक प्रोफार्मा लेखा है। ब्याज, दण्डनीय क्षतियों, आदि के कारण हुई सभी आय को ब्याज उचंत लेखा में क्रेडिट तथा अंशदाता के खाते में क्रेडिट ब्याज से संबंधित व्यय को डेबिट किया जाता है। ब्या.उ.ले. में शेष को क.भ.नि. तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 'ब्या.उ.ले.' में शेष मार्च 2007 में ₹ 12445.29 करोड़ से मार्च 2011 में ₹ 22461.15 करोड़ तक संगत रूप से बढ़ा।

इस प्रकार, ब्या.उ.ले. में राशि को मुख्यतः अंशदाताओं के खातों का अद्यतन न किए जाने के कारण संगत क्रेडिटों सहित नियमित तथा सामयिक प्रकार से अंशदाताओं के खाते में डेबिट नहीं किया जा रहा था। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.6: ब्याज उचंत लेखे (ब्या.उ.ले.) में शेष के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान निपटान (क्रेडिट) की गई राशि	वर्ष के अंत में ब्या.उ.ले. में शेष
2006-07 तक	12773.96	7713.60	8042.27	12445.29
2007-08	12445.29	8988.86	8136.58	13297.57
2008-09	13297.57	10975.59	9576.30	14696.86
2009-10	14696.86	12326.95	10025.03	16998.78
2010-11	16998.78	14455.06	8992.69	22461.15
2011-12	22461.15	18531.41	23797.27	17195.29

2011-12 के दौरान ब्या.उ.ले. में शेष उस वर्ष में 16.62 करोड़ अंशदाताओं के खातों का अद्यतन करने के कारण ₹ 17195.29 करोड़ तक कम हुआ।

आगे यह पाया गया कि क.भ.नि.सं. ने ब्या.उ.ले. से देय ब्याज हेतु अंशदाताओं के खातों में ₹ 23797.27 करोड़ डाले जिसका परिणाम 31.03.2012 को ब्या.उ.ले. लेखे में अस्थायी रूप से ₹1336.12 करोड़ के ऋणात्मक शेष में हुआ।

उत्तर में, क.भ.नि.सं. ने बताया (नवम्बर 2012) कि ब्याज उचंत लेखे में वर्ष के अंत में आंकड़े प्रत्येक वर्ष बढ़ते हैं क्योंकि निवेश में कार्पस प्रत्येक वर्ष बढ़ता है।

क.भ.नि.सं. का उत्तर ब्या.उ.ले. में बढ़ते हुए शेष को उचित सिद्ध नहीं करता है जो कि अंशदाताओं के खातों का सामयिक प्रकार से अद्यतन न किए जाने के कारण है। खातों को अद्यतन न किए जाने पर पैरा 5.5 के अंतर्गत भी चर्चा की गई है।

2.4 अंशदाताओं को वार्षिक ब्याज दर

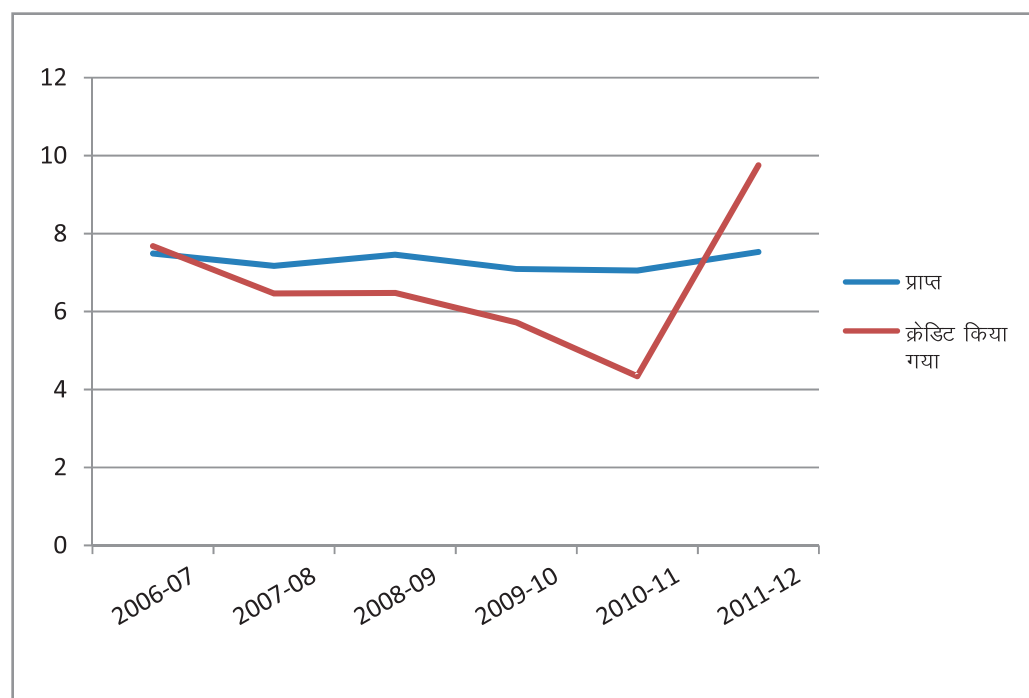
क.भ.नि. योजना, 1952 के पैराग्राफ 60(1) के अनुसार आयुक्त सदस्यों के खातों में उस दर पर ब्याज क्रेडिट करेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा के.द्र.बो. के परामर्श से निर्धारित की गई हो।

2006-12 के दौरान क.भ.नि. कॉर्पस के अंतर्गत निवेशों पर प्राप्त तथा अंशदाताओं के खातों को क्रेडिट ब्याज निम्नानुसार है:

तालिका-2.7: प्राप्त तथा अंशदाताओं के खातों को क्रेडिट ब्याज में अंतर

वर्ष (1)	निवेश की गई राशि (₹ करोड़ में) (2)	निवेशों पर प्राप्त ब्याज (₹ करोड़ में) (3)	निवेश की गई राशि के प्रतिशत में निवेशों पर प्राप्त ब्याज (4)	अंशदाताओं के खातों को क्रेडिट वास्तविक ब्याज (₹ करोड़ में) (5)	कुल निवेशों पर ब्याज के प्रति क्रेडिट राशि का प्रतिशत (6)	प्राप्त ब्याज तथा अदा किए ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत में) (4)-(6) (7)	ब्याज की घोषित दर (प्रतिशत में) (8)	घोषित दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत में) (8)-(4) (9)
2006-07	103837.36	7779.63	7.49	7976.24	7.68	-0.19	8.50	1.01
2007-08	121503.70	8706.88	7.17	7854.60	6.46	0.71	8.50	1.33
2008-09	142977.39	10667.43	7.46	9268.15	6.48	0.98	8.50	1.04
2009-10	168281.37	11933.88	7.09	9631.96	5.72	1.37	8.50	1.41
2010-11	201064.01	14181.90	7.05	8719.53	4.34	2.71	9.50	2.45
2011-12	237323.63	17879.95	7.53	23145.81	9.75	-2.22	8.25	0.72

इसके निवेशों पर प्राप्त ब्याज की दर तथा इसके अंशदाताओं को निवेशों पर अदायगी की प्रतिशतता के बीच अन्तर को निम्नानुसार ग्राफीय रूप में भी दर्शाया गया है:



निवेशों पर प्राप्त आय तथा अंशदाताओं के खातों में क्रेडिट का प्रतिशत दर्शाने वाला ग्राफ़

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

क. क.भ.नि.सं. अंशदाताओं को ब्याज के रूप में कमाई से कम राशि अदा कर रहा था जिसे वह कार्पस पर प्राप्त कर रहा है (2006-07 तथा 2011-12 को छोड़कर)। यह देखा जा सकता है कि वह अपनी योजनाओं के प्रशासन हेतु अलग से शुल्क लेता है।

ख. इसके कुल निवेशों की प्रतिशतता के रूप में अंशदाताओं का ब्याज भुगतान घटते जा रहे हैं (पिछले वर्ष को छोड़कर) यद्यपि ब्याज की घोषित दर अधिक थी। इसके अतिरिक्त, इसके निवेशों पर प्राप्त ब्याज की दर तथा अंशदाताओं को अदा की जा रही दर में कोई संगति नहीं थी, 2006-07 तथा 2011-12 हेतु भुगतान इसकी कमाई से अधिक था, शेष वर्षों हेतु यह कम रहा जो वित्तीय सावधानी के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

ग. ब्याज की घोषित दर तथा दर, जिसे वह अपने निवेशों पर प्राप्त कर रहा था, के बीच अंतर थे।

इन तथ्यों ने दर्शाया कि क.भ.नि. कार्पस के अंतर्गत धन की कुल राशि इसके सभी अंशदाताओं के पास संचित शेष से अधिक थी तथा यह अंतर वर्षों से बढ़ रहा था। अंतर खातों के अद्यतन न किए जाने, दावा न की गई राशियों तथा पारगमन में पड़े धन, आदि के कारण हो सकता है जो इसके अंशदाताओं को अपर्याप्त सेवाओं का प्रतिबिंबक है।

क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि कालम (5) में ब्याज की कुल राशि नहीं हो सकती जिसे अंशदाताओं के खातों में डाला जाना चाहिए क्योंकि कई खाते अद्यतन किए जाने हेतु बकाया हैं। उसने आगे बताया कि 2011-12 के दौरान बकाया खातों की बड़ी संख्या को एक विशेष अभियान में अद्यतन किया गया था। उसने यह भी बताया कि आगामी वर्षों में एक विशेष वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज तथा अदा किए ब्याज के आंकड़े काफी करीब होंगे।

अनुशंसा: क.भ.नि.सं. को अपने अंशदाताओं को भुगतान किए गए ब्याज के साथ अपनी कमाई का सावधानी से मिलान करना चाहिए।

2.5 वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश प्रतिमान को नहीं अपनाना

वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2003 में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निवेश की प्रतिशतता के साथ निवेश का प्रतिमान निर्धारित किया था। इस प्रतिमान को जनवरी 2005 में तथा फिर से अगस्त 2008 में संशोधित किया गया था।

यह देखा गया कि क.भ.नि.सं. ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश प्रतिमान का अनुसरण नहीं किया था। वित्त मंत्रालय ने अपने द्वारा अधिसूचित निवेश प्रतिमान को अपनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/क.भ.नि.सं. को निर्देश दिए थे (जुलाई 2010)

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2012) कि उसने जुलाई 2003 में मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश के प्रतिमान का अनुसरण किया था। यह पाया गया था कि 2003 में भी प्रतिमान का अनुसरण नहीं हुआ था।

इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा निर्देशित निवेश प्रतिमान का अनुसरण क.भ.नि.सं. नहीं कर रहा था।

2.6 वार्षिक मूल्यांकन

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, के पैरा 32 के अनुसार, केन्द्र सरकार अपने द्वारा नियुक्त मूल्य निर्धारक के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि का वार्षिक मूल्यांकन करेगी।

वर्ष 2005-06 के लिए नियुक्त मूल्य निर्धारक ने लेखा में ₹ 95,895.00 करोड़ की कुल प्रक्षेपित देयता तथा ₹ 73,236.00 करोड़ की निधि का निर्धारण किया था इस प्रकार 31 मार्च 2006 तक ₹ 22,659.00 करोड़ के घाटा का आकलन किया गया।

वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 हेतु मूल्यांकन अभ्यास, नियुक्त मूल्य निर्धारकों द्वारा किया गया था। मार्च 2007 तथा मार्च 2008 तक की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें, क.भ.नि.सं. द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2011 तथा अगस्त 2012 में प्राप्त की गई थी। 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए मूल्य निर्धारकों को नवम्बर 2012 में नियुक्त किया गया था। प्राप्त की गई रिपोर्टें कथित तौर पर क.भ.नि.सं. के विचाराधीन थी।

- इस प्रकार, (क) 2006-07 में मूल्यांकन के दौरान निधि में काफी घाटा दिखा
- (ख) मूल्यांकन न तो समय से किया जा रहा है, न ही रिपोर्ट समयबद्ध रूप में प्राप्त की जा रही है, और
- (ग) मूल्यांकन रिपोर्टों पर कार्रवाई में काफी विलंब हुआ है।

क.भ.नि.सं. ने बताया (अगस्त 2013) कि क.पें.यो. निधि का 31 मार्च 2009 तक का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया था तथा 31 मार्च 2010, 2011 तथा 2012 के लिए मूल्यांकन हेतु मूल्य निर्धारक को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कर लिया गया था तथा मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी। क.भ.नि.सं. ने आगे बताया (अगस्त 2013) कि दिसम्बर 2012 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया था कि क.पें.यो., 1995 के अंतर्गत पेंशन लाभ में संशोधन से संबंधित अन्तर-मंत्रालयी परामर्श के पश्चात मंत्रालय ने केबिनेट सचिवालय को 12 अक्टूबर 2012 को केबिनेट सचिवालय को एक केबिनेट नोट प्रस्तुत किया तथा यह निर्णय लिया गया कि मुद्दे की जांच सचिव समिति द्वारा की जाए, और मई 2013 से मुद्दा उनके विचाराधीन है।

अनुशंसा: सरकार को मूल्य निर्धारकों की लंबित रिपोर्ट पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए तथा क.पें.यो. लेखा पर इसके प्रभाव का निर्णय करना चाहिए तथा आवश्यक सुधार लाने चाहिए।

मूल्यांकन प्रक्रिया नियमित एवं सामयिक आधार पर प्रतिवर्ष की जानी चाहिए तथा इसके प्रभाव का उल्लेख करना चाहिए।

2.7 कर्मचारी पेंशन निधि

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की लेखा प्रक्रिया नियमावली के पैरा 5.3.4 के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि को दिए गए केन्द्र सरकार के योगदान को भारत सरकार के लोक लेखा में रखा जाना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, संघ सरकार लेखा में वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा आवश्यक समायोजन हेतु सरकार के योगदान के अंश (तथा उस पर ब्याज हेतु) से संबंधित अनुमोदनों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जारी करता है। अनुमोदन की प्रतियां क.भ.नि.सं. को भी उनके वार्षिक लेखा में आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए अग्रेषित की गई हैं। इस प्रकार, कर्मचारी पेंशन निधि को सरकार के पेंशन योगदान के अंश के शेष के साथ लोक लेखा तथा क.भ.नि.सं. के लेखा में अंकित राशि के साथ मेल खाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि वर्ष 2007-08 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखा के अनुसार पेंशन निधि का केन्द्र सरकार के योगदान (ब्याज सहित) का अंत शेष ₹ 36,809.06 करोड़ था। जबकि, संघ सरकार वित्त लेखा में दर्शाई गई राशि

₹ 36,939.04 करोड़ थी। इस प्रकार, दोनों दस्तावेजों में ₹ 129.98 करोड़ का अंतर था।

इस विषय पर वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी टिप्पणी की गई थी, जहां पर इस विसंगति का समाधान करने के नियमित मिलान की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

क.भ.नि.सं. ने बताया (सितम्बर 2013) कि मंत्रालयों के निर्देशों के अनुसार, मिलान के मुद्दे को प्रधान लेखा अधिकारी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ सुलझाया जा रहा है।

अनुशंसा: मंत्रालय को आंकड़ों के मिलान के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

2.8 समिति की बैठकें

क.भ.नि.सं. की गतिविधियां एवं कार्य अधिनियम के अंतर्गत शासित हैं। क.भ.नि.सं. योजना 1952 का पैरा 11, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्षेत्रीय समितियां तथा समिति की बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करता है। 2006-12 अवधि के दौरान हुई इन समितियों की बैठकों की वास्तविक संख्या की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.8-क.भ.नि.सं. की समितियों की आवधिक बैठकें

समिति का नाम	समिति के मुख्य कार्य	बैठकों की निर्धारित आवृत्ति	2006-07 से 2011-12 के दौरान हुई बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी
कार्यकारिणी समिति	केन्द्रीय बोर्ड को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करना।	प्रत्येक वर्ष 4 कुल-24	4 - (2006-07) 3 - (2007-08) 4 - (2008-09) 2 - (2009-10) 3 - (2010-11) 4 - (2011-12) कुल=20	4
क्षेत्रीय समितियां	राज्यों में योजना का प्रशासन, भ. नि. योगदान की वसूली की प्रगति, दावों का शीघ्र निपटारा	प्रत्येक वर्ष 2 कुल- 266	28 - (2006-07) 22 - (2007-08) 22 - (2008-09) 32 - (2009-10) 36 - (2010-11) 33 - (2011-12) कुल=173	93

इस प्रकार, समिति की बैठकों में कमियां थी।

क.भ.नि.सं. ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012 तथा अगस्त 2013) तथा बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नोट कर ली गई हैं तथा सभी संबंधित को नए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे ।

राज्य विशिष्ट निष्कर्ष- क्षेत्रीय समिति (क्षे.स.) बैठकें

गुजरात: अगस्त 2002 में पिछली क्षे.स. का कार्यकाल समाप्त हो गया था। क्षे.स. केवल फरवरी 2011 में ही पुर्नगठित हुई थी।

महाराष्ट्र: अगस्त 2006 में पिछली क्षे. स. का कार्यकाल समाप्त हो गया था। क्षे.स. केवल दिसम्बर 2010 में गठित की गई थी।

दिल्ली- रा.रा.क्षे. दिल्ली की राज्य सरकार से नामांकन के अभाव में क्षे.स. का पुर्नगठन मई 2002 से लंबित था। इस प्रकार, 2003-04 से 2011-12 वर्षों के दौरान कोई बैठक नहीं हुई थी।

गोवा- अक्तूबर 2008 में क्षे.स. का कार्यकाल समाप्त हो गया था तथा नई क्षे.स. का पुनर्गठन केवल नवम्बर 2010 में ही हुआ था। इस प्रकार, 2008-09 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान कोई बैठक नहीं हुई थी।

अनुशंसा: निर्धारित मानदंडों के अनुसार समिति की बैठकें न्यूनतम संख्या में होनी चाहिए।

अध्याय-III: आवर्तन एवं नामांकन

3.1 स्थापनाओं का आवर्तन

क.भ.नि.स. अधिनियम उस प्रत्येक स्थापना पर लागू होता है, जो कि अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों में से एक या अधिक या सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त है, और 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार पर रखा हुआ है। अधिनियम के अनुच्छेद 1 (4) के अंतर्गत स्थापनाएं जो कि वैसे तो अधिनियम के अंतर्गत आवृत्त नहीं हैं को भी नियोक्ता तथा अपने कर्मचारियों की बहुमत की आपसी सहमति के साथ स्वेच्छापूर्वक शामिल किया जा सकता है।

क.भ.नि. योजना के अंतर्गत, उद्योगों तथा स्थापनाओं की 187 श्रेणियाँ आवृत्त थी (मार्च 2012)। 2006-07 से 2011-12 के दौरान, क.भ.नि. योजना को कंप्यूटर का काम करने वाले उद्योगों और स्थापनाओं, जीवन बीमा प्रदान करने वाली कंपनियाँ, निजी हवाई पत्तन, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, आवास गृहों, सर्विस अपार्टमेंट, सम्मिलित अधिकार, नगर परिषद या निगम आदि को शामिल किया गया था।

क.भ.नि.यो. के अंतर्गत 6,91,237 स्थापनाएं आवृत्त थी (31 मार्च 2012 तक)। इसमें 6,88,487 बिना छूट-प्राप्त¹ और 2750 छूट-प्राप्त² स्थापनाएं शामिल थी। वे स्थापनाएं जिनको छूट प्राप्त नहीं है को क.भ.नि.सं. द्वारा सेवा प्रदान की जाती है तथा छूट प्राप्त स्थापनाओं की सेवा स्थापनाओं द्वारा स्वयं प्रदान की जाती है।

भारत में करीब 459 मिलियन के कुल कार्यबल में से, 27.55 (छह प्रतिशत) मिलियन कर्मचारी संगठित क्षेत्र में है (सार्वजनिक क्षेत्र में 17.67 मिलियन तथा निजी क्षेत्र में 9.87 मिलियन) तथा शेष 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। 31 मार्च 2012 तक, क.भ.नि. योजना के अंतर्गत 8,55,40,324 सदस्य आवृत्त थे जोकि कुल कार्यबल का 18.64 प्रतिशत था।

¹ बिना छूट-प्राप्त स्थापनाएं वह हैं जिन्हें क.भ.नि. योजना में शामिल किया गया है। (अनुच्छेद 1)

² छूट-प्राप्त स्थापना, वह स्थापना है जिसके लिए योजना के परिचालन (अनुच्छेद 2 (चचच)) से छूट प्रदान की गई है।

सदस्यों की कुल संख्या में से, 64.45 प्रतिशत नामतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली एवं हरियाणा पांच राज्यों में संकेन्द्रित है।

3.2 अनिवार्य आवर्तन-सर्वेक्षण

जैसा कि पहले बताया गया है, अधिनियम के प्रावधान प्रत्येक स्थापना पर लागू होते हैं जोकि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगी फैक्टरी है तथा जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं और कोई अन्य स्थापना जिसमें 20 या अधिक लोग कार्यरत हों तथा जिसे केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

भविष्य निधि निरीक्षक से अपने क्षेत्र में अनावृत्त स्थापनाओं पर लगातार नजर रखना तथा जैसे ही उन पर अधिनियम लागू होता है उनके आवर्तन की अनुशंसा करना अपेक्षित है। नई स्थापनाओं के सक्षम आवर्तन के आकलन के लिए क.भ.नि.सं. के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सर्वेक्षणों का संचालन किया जाता है।

क.भ.नि.सं. मुख्यालय ने प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी के लिए उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक माह पांच स्थापनाओं के आवर्तन तथा प्रत्येक कार्यालय के लिए, पिछले वर्ष के मुकाबले स्थापनाओं की संख्या में 15 प्रतिशत की कुल वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था (जनवरी 2009)।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान, जैसा कि नीचे दिया गया है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा तथा दिल्ली राज्यों में जांचित क्षे.का./उ.क्षे.का. में, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति कमियां 47 प्रतिशत तथा 58.82 प्रतिशत तक थी। अन्य क्षेत्रों/राज्यों के संबंध में पूरा डाटा/विवरण उपलब्ध नहीं था। नई स्थापनाओं के निरीक्षण में कमियों ने नई स्थापनाओं के शामिल होने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया होगा।

तालिका 3.1: - आवर्तन तथा नामांकन का विवरण

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में स्थापनाओं की संख्या	नई स्थापनाओं के नामांकन के लिए लक्ष्य (15 प्रतिशत)	नव नामांकित स्थापनाओं की संख्या	वर्ष के अंत में स्थापनाओं की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
2009-10	198463	29769	15777	214240	13992	47.00
2010-11	214240	32136	15925	230165	16211	50.44
2011-12	230165	34525	14219	244384	20306	58.82

उपरोक्त मुद्दे पर क.भ.नि.सं. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)

3.3 स्वेच्छापूर्वक आवर्तन

एक स्थापना को नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बहुमत की आपसी सहमति के साथ स्वेच्छापूर्वक आवृत्त किया जा सकता है (अधिनियम का अनुच्छेद 1 (4))। ऐसे मामलों में, सी.पी.एफ.सी., सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देता है और कर्मचारियों को क.भ.नि. योजना के अनुसार सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध हो जाते हैं। तथापि, इस प्रकार की अधिसूचना को जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि स्वेच्छापूर्वक आवर्तन के लिए आवेदनों की बड़ी संख्या केन्द्रीय कार्यालय तथा क्षे.का. के पास लंबित थी। 2006-07 और 2011-12 के बीच, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से स्वेच्छापूर्वक आवर्तन हेतु आवेदनों के कुल 1352 मामलों में से केवल 79 मामलों में (5.84 प्रतिशत) अधिसूचनाएं जारी की गई थी। 31 मार्च 2012 तक, राजपत्र अधिसूचना को जारी करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के पास 314 मामलों लंबित थे तथा क्षे.का. के पास 959 मामले लंबित थे।

लेखापरीक्षा में अन्य नमूना परीक्षित राज्यों में उल्लेखनीय देरी भी पाई गई थी जैसा कि नीचे दिया गया है:

- 2006-12 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल (क्षे.का.कोलकाता) में, 466 स्थापनाओं ने स्वेच्छापूर्वक आवर्तन हेतु आवेदन दिए थे, जिसमें से केवल तीन मामलों में अधिसूचनाएं जारी की गई थी। प्रवर्तन अधिकारी से अंतिम प्रायोज्यता की प्राप्ति न होने के कारण कथित तौर पर क्षे.का. ने अपने मुख्यालय को 448

मामलों की अनुशंसा नहीं की, और शेष 15 मामले केन्द्रीय कार्यालय के पास लंबित थे।

- केरल में (क्षे.का. तिरुवनंतपुरम) 177 स्वेच्छापूर्वक आवर्तन मामलों में, अधिसूचनाओं को जारी किया जाना लंबित था। इसमें से, 39 मामलों में, प्रवर्तन अधिकारियों ने निरीक्षण को संचालित नहीं किया था तथा शेष 138 मामले केन्द्रीय कार्यालय में लंबित थे।
- ओडिशा में, जबकि 83 स्थापनाओं ने स्वेच्छापूर्वक आवर्तन हेतु आवेदन दिया था, किन्तु 2006-12 के दौरान केवल 14 स्थापनाओं के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।
- हरियाणा में, 60 से लेकर 120 महीनों तक की अवधि हेतु 31 मार्च 2012 तक स्वेच्छापूर्वक आवर्तन के 95 मामलों लंबित थे। 2010-11 से 2011-12 के दौरान कोई अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई थी।

इस प्रकार, क.भ.नि.सं. अपनी योजनाओं के स्वेच्छापूर्वक आवर्तन के बारे में बहुत उत्साहजनक नहीं था।

क.भ.नि.सं. ने मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की (नवम्बर 2013)

3.4 निरीक्षण

निरीक्षक नियमावली का पैरा 11 प्रावधान करता है कि अधिनियम तथा योजनाओं के शीघ्र एवं प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत आवृत्त प्रत्येक स्थापना का आवश्यकतानुसार पूर्णतया तथा अक्सर निरीक्षण किया जाना चाहिए। सामान्यतया, स्थापना (छूट प्राप्त और बिना छूट प्राप्त) के नियमित निरीक्षण को 4 माह में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए तथा निरीक्षकों द्वारा एक माह में न्यूनतम 45 निरीक्षणों का अनुरक्षण करना चाहिए।

क्षे.का./उप.क्षे.का. में अभिलेखों के नमूना परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्थापनाओं के अपेक्षित संख्या में निरीक्षणों का संचालन नहीं किया गया था। निम्नलिखित राज्यों में अपर्याप्त निरीक्षण पाए गए थे।

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
कर्नाटक	उप.क्षे.का., बेंगलूर-आवृत्त होने से लेकर अब तक 36 स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था जिसमें से सात स्थापनाओं ने उल्लंघन किया था।
उत्तर प्रदेश	वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक के लिए क्षे.का.कानपुर तथा उप.क्षे.का. वाराणसी, बरेली में आवृत्त स्थापनाओं के निरीक्षण हेतु लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था।
छत्तीसगढ़	क्षे.का. रायपुर-2006-09 के दौरान आवृत्त स्थापनाओं का निरीक्षण संचालित नहीं किया गया था 2009-12 के दौरान निरीक्षण में कमी की प्रतिशतता 82 से 84 प्रतिशत थी।
पश्चिम बंगाल	कोलकाता क्षेत्र में 2009-12 के दौरान लक्षित 14,129 निरीक्षणों में से केवल 27 प्रतिशत निरीक्षणों का संचालन किया गया था। इसके अतिरिक्त, उप.क्षे.का., जांगीपुर के मामले में क्रमशः वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 हेतु कमी की प्रतिशतता 86 प्रतिशत, 87 प्रतिशत और 96 प्रतिशत थी।
हरियाणा	2006-10 के दौरान, क्षे.का. फरीदाबाद द्वारा आवृत्त स्थापनाओं के निरीक्षण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। वर्ष 2010-11 हेतु क्षे.का. फरीदाबाद द्वारा 7818 स्थापनाओं के निरीक्षणों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके प्रति 1668 (34 प्रतिशत) स्थापनाओं का निरीक्षण संचालित किया गया था। 2011-12 हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक के लिए क्षे.का. गुडगांव ने 5544 स्थापनाओं के निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य के प्रति केवल 1782 (32 प्रतिशत) स्थापनाओं का निरीक्षण हुआ था। वर्ष 2011-12 हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।
राजस्थान	क्षे.का. जयपुर तथा उप. क्षे.का. उदयपुर, जोधपुर एवं कोटा में 2011-12 के दौरान लक्षित 6960 निरीक्षणों में से केवल 2212 (31.78 प्रतिशत) के निरीक्षण का संचालन किया गया था।

मामला अध्ययन: अपर्याप्त निरीक्षण

क्षे.का., कोलकाता, उ.क्षे.का. पार्क स्ट्रीट एवं बैरकपोर में, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 4357 नई स्थापनाएं जोड़ी गई थीं। तथापि, कोड संख्याएं प्राप्त करने के पश्चात, 1035 नव आवृत्त स्थापनाएं या तो बिना कोई योगदान कर या फिर केवल एक या दो माह हेतु योगदान करने के पश्चात गायब हो गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद, क्षे.का., कोलकाता, इन स्थापनाओं में किए गए निरीक्षण की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया।

इस प्रकार, स्थापनाओं के निरीक्षण, लक्ष्यों से कम थे, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में स्थापनाओं पर अपर्याप्त नियंत्रण रहा।

अनुशंसा: क.भ.नि.सं. को लक्ष्यों को ध्यान से मॉनीटर करना चाहिए तथा स्थापनाओं के नियमित निरीक्षण तथा सर्वेक्षणों के संचालन हेतु अनुपालना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इनसे अपेक्षित है कि यह स्वेच्छापूर्वक आवर्तन के लिए आगे आने वाली स्थापनाओं का स्वागत करें और समयबद्ध तरीके से अधिसूचनाओं को जारी करना सुनिश्चित करें।

अध्याय-IV: योगदान एवं वसूली

4.1 नियोक्ताओं का दायित्व

क.भ.नि.योजना के पैरा 30 (3) के अनुसार, मुख्य नियोक्ता का दायित्व यह है कि वह अपने द्वारा सीधे नियुक्त किए गए कर्मचारियों तथा ठेकेदार के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में योगदान और प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान करे।

4.2 मांग संग्रह शेष पंजिका (मां.सं.शे.पं.)

सभी स्थापनाओं के लिए क्षे.का./उ.क्षे.का. में मां.सं.शे.पं. का अनुरक्षण किया जाता है। मां.सं.शे.पं. में प्रविष्टियां, नियोक्ता द्वारा बैंक में किए गए प्रेषणों के चालानों के साथ मासिक विवरणों के आधार पर की जाती है। मां.सं.शे.पं. चूककर्ताओं की सूची तथा क्षतिपूर्ति विवरण को तैयार करने में मदद करता है जिसे फिर देय राशि की वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ करने के लिए प्रवर्तन शाखा तथा दंडात्मक क्षतिपूर्ति प्रकोष्ठ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मां.सं.शे.पं., बैंकों से प्राप्त रसीदों की अनुसूची के साथ मिलान को सुगम बनाता है ताकि बैंकों (लेखांकन प्रक्रिया की नियमावली का पैरा 4.5.3., भाग-1 सामान्य) द्वारा चूक का गठन करने वाले लंबित प्रेषणों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार, मां.सं.शे.पं. एक महत्वपूर्ण नियंत्रण पंजी है तथा इसका उचित रूप से अनुरक्षण अपेक्षित है।

निम्नलिखित राज्यों में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मां.सं.शे.पं. को न तो अनुरक्षित किया जा रहा था और न ही बैंक की रसीदों के साथ मिलान किया जा रहा था।

- दिल्ली क्षे.का. (उत्तर) और क्षे.का. (दक्षिण) में, मां.सं.शे.पं. का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
- कर्नाटक (क्षे.का. बेंगलूर तथा उ.क्षे.का. चिक्कमगलूर) में मां.सं.शे.पं. का मासिक अद्यतन नहीं किया जा रहा था।
- राजस्थान (क्षे.का. जयपुर तथा तीन उ.क्षे.का.) में, 2005-06 से मां.सं.शे.पं. का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

- झारखंड में मां.सं.शे.पं. में प्रविष्टि मासिक रूप से नहीं की जा रही थी और कुछ मामलों में प्रविष्टि वार्षिक रूप से की जाती थी।

मां.सं.शे.पं. के अनुस्क्षण या अद्यतन न होने के कारण, क.भ.नि.सं. प्राधिकारियों ने विगत राशियों के प्रति प्रेषण एवं देय राशियों की प्राप्ति पर नजर रखने तथा चूककर्ताओं की सूचियों की यथार्थता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र खो दिया।

क.भ.नि.सं. ने बताया (सितम्बर 2013) कि इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-वापसी (इ.चा.वा.) सुविधा को पहले से ही नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है जोकि मां.सं.शे.पं. को स्वतः अद्यतित कर देगा।

क.भ.नि.सं. द्वारा की गई कार्रवाई प्रशंसनीय है, लेकिन, यह केवल वर्तमान प्रेषणों को ही मॉनीटर करेगी और मां.सं.शे.पं. में विगत अंतराल रहेंगे।

अनुशंसा: क.भ.नि.सं. को मां.सं.शे.पं. के व्यापक अद्यतन, यथोचित चूककर्ताओं की सूची बनाना तथा आवश्यक वसूलियों को आरंभ करने की कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

4.3 भविष्य निधि एवं प्रशासनिक प्रभारों के बकाया

क.भ.नि. योजना का पैरा 38 प्रदान करता है कि प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारियों के वेतन से उनके योगदान की कटौती कर, अपने योगदान तथा प्रशासनिक प्रभारों के साथ, प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर उसे जमा कराना होगा। क.भ.नि.सं. मुख्यालय पर वसूली निदेशालय, वसूलियों से संबंधित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन को मॉनीटर करता है।

31 मार्च 2012 तक, क.भ.नि. के लेखा पर ₹ 1723 करोड़ का कुल बकाया था। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 31 मार्च 2012 तक निम्न पांच राज्यों से चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में 20,974 स्थापनाओं से क.भ.नि. बकाया के लेखा पर ₹ 313.20 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी।

तालिका 4.1: क.भ.नि. का बकाया

राज्य	स्थापनाओं की संख्या	कुल देय राशि (₹ करोड़ में)
पश्चिम बंगाल	96	6.55
गुजरात	1902	87.33
तमिलनाडु	10303	135.61
हरियाणा	1262	25.18
पंजाब	7411	58.53
कुल	20974	313.20

इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 तक प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभारों के कारण कुल बकाया ₹ 143.60 करोड़ था। केरल, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु के तीन राज्यों में छूट प्राप्त न हुई स्थापनाओं से संबंधित प्रशासनिक प्रभार, 2006-12 के दौरान 17213 स्थापनाओं को शामिल करते हुए ₹ 16.94 करोड़ से बढ़कर 19316 स्थापनाओं को शामिल करते हुए ₹ 27.87 करोड़ तक बढ़ गए थे।

महाराष्ट्र, ओडीशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा एवं पंजाब से संबंधित प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभारों के लिए राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

तालिका 4.2: प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभारों के बकायों पर राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष

राज्य	अभ्युक्तियां
महाराष्ट्र	क्षे.का. (मुम्बई-। बान्द्रा) में, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम से निरीक्षण प्रभारों के प्रति वसूली के लिए ₹ 25.95 करोड़ (2003-04 तक ₹ 14.64 करोड़, अप्रैल 2004 से मार्च 2009 तक ₹ 8.95 करोड़ तथा अप्रैल 2009 से मार्च 2011 तक ₹ 2.36 करोड़) की कुल राशि लंबित थी।
ओडीशा	2279 चूक स्थापनाओं से ₹ 4.33 करोड़ के प्रशासनिक प्रभार बकाया थे। छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में, ₹ 4.65 करोड़ के वसूली योग्य निरीक्षण प्रभार बकाया थे। उ.क्षे.का., क्योन्झार ने 2006-07 से लेकर 2011-12 तक अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था। उ.क्षे.का., बरहमपुर ने भी छूट प्राप्त स्थापनाओं के निरीक्षण प्रभारों के लिए अपेक्षित जानकारी युक्त अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था।

केरल	क्षे.का. तिरुवनंतपुरम में, 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रभारों की गैर वसूली ₹ 5.89 करोड़ से ₹ 7.78 करोड़ तक 3602 से 4400 स्थापनाओं तक बढ़ गई थी।
कर्नाटक	क्षे.का., बेंगलूर में, 31 मार्च 2012 तक वसूली योग्य योगदान तथा निरीक्षण प्रभारों की राशि ₹ 10.23 करोड़ थी।
तमिलनाडु	मार्च 2012 तक 12182 स्थापनाओं पर प्रशासन प्रभारों के प्रति ₹ 9.48 करोड़ की संग्रहण की राशि लंबित थी।
हरियाणा	31 मार्च 2012 तक क्षे.का. फरीदाबाद में 1284 स्थापनाओं के संबंध में ₹ 2.03 करोड़ तथा क्षे.का. गुड़गांव में 960 स्थापनाओं के संबंध में ₹ 41.71 करोड़ की राशि बकाया थी।
पंजाब	31 मार्च 2012 तक प्रशासनिक प्रभारों के प्रति क्षे.का. लुधियाना में 2573 स्थापनाओं के संबंध में ₹ 1.29 करोड़ तथा क्षे.का. चंडीगढ़ में 4329 स्थापनाओं के संबंध में ₹ 5.21 करोड़ लंबित थे।

क.भ.नि.सं. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013).

4.4 विलंबित क्रेडिट के लिए बैंक द्वारा देय ब्याज

क.भ.नि.सं. की ओर से उदग्राह्य राशियों को भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) वसूल करता है।

लेखा प्रक्रिया की नियमावली (सामान्य) के पैरा 6.9.1 के अनुसार प्रत्येक दिन भा.स्टे.बैं. की शाखाओं द्वारा प्राप्त योगदानों तथा अन्य देय राशियों को उसी दिन भा.स्टे.बैं. की संबंधित लिंक शाखा को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए। अंतरण में किसी भी प्रकार के विलंब से निधि तथा उस पर मिलने वाले ब्याज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भा.स्टे.बैं. के पास जमा की गई राशि को स्थापना द्वारा चालान के प्रस्तुतीकरण की तिथि से सात दिनों के भीतर क.भ.नि.सं. के खाते में जमा कर देना चाहिए। राशि के अंतरण में विलंब, अपनी बचत दर से ऊपर दो प्रतिशत अधिक ब्याज अर्जित करता है।

चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. की नमूना जांच से पता चला कि 31 मार्च, 2012 को बैंक द्वारा क.भ.नि.सं. के खाते में जमा करवाने में विलंब के कारण निम्नलिखित राज्यों में अतिरिक्त दो प्रतिशत के प्रति ₹ 7.74 करोड़ तक की राशि का ब्याज वसूली योग्य था:

तालिका 4.3: वसूली योग्य ब्याज का विवरण

राज्य तथा क्षे.का./उ.क्षे.का.	वसूली योग्य ब्याज की राशि (₹ करोड़ में)
पश्चिम बंगाल (क्षे.का. कोलकाता, उ.क्षे.का. पार्क स्ट्रीट)	2.99
कर्नाटक (क्षे.का. बेंगलूर, उ.क्षे.का. मैसूर तथा चिक्कमगलूर)	1.13
पंजाब (क्षे.का. लुधियाना)	0.40
मध्य प्रदेश (उ.क्षे.का. ग्वालियर तथा भोपाल)	1.12
केरल (क्षे.का. तिरुवनंतपुरम)	2.10
कुल	7.74

यद्यपि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ केन्द्रीय कार्यालय उचित एवं शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था लेकिन बैंक द्वारा विलंबित क्रेडिट का पता लगाने की प्रणाली गैर-कार्यात्मक थी।

राशि की वसूली के लिए क.भ.नि.सं. द्वारा लिए गए कदम, अभिलेख में नहीं थे।

अनुशंसा: क.भ.नि.सं., भा.स्टे.बैं. द्वारा समय पर की गई जमाओं के प्रेषण की निगरानी हेतु एक प्रभावी तंत्र की स्थापना करे।

4.5 क्षतियों एवं जुर्माने का उद्ग्रहण तथा प्राप्ति

सभी आवृत स्थापनाओं को प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अंदर उनके बकायों का भुगतान अपेक्षित था। यदि निर्धारित समय के अंदर राशि जमा नहीं की जाती है तो अधिनियम की धारा 14ख के अंदर दण्डात्मक जुर्माना लगाया जा सकता है (योजना के पैरा 32क के साथ पठित लेखांकन प्रक्रिया नियमावली (भाग-1 सामान्य) के पैरा 5.1.3)।

यह देखा गया था कि क्षतियों के लिए राशि को लगाया तो गया था परंतु दोषी गैर छूट-प्राप्त स्थापनाओं से वसूली नहीं गयी थी जो 31 मार्च 2012 को ₹ 265.75 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया था कि शेष बकाया राशि 1 अप्रैल 2006 को ₹ 132.62 करोड़ से 31 मार्च 2012 को दुगुनी होकर ₹ 265.75 करोड़ हो गयी थी। पांच राज्यों, नामतः केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं गोवा के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. के विवरण नीचे दिये गये हैं।

तालिका 4.4: गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं से क्षतियों के उद्ग्रहण एवं प्राप्ति

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	क्षतियों के अथ शेष		वर्ष के दौरान लगायी गयी क्षतियों की राशि		क्षतियों के बकाया शेष	
	स्थापनाओं की संख्या	राशि	लगायी गयी	प्राप्त की गयी	स्थापनाओं की संख्या	राशि
2006-07	6429	13261.84	4317.61	2401.21	5405	15178.24
2007-08	5405	15178.24	11453.27	2404.52	5606	24226.99
2008-09	5606	24226.99	4854.01	3014.90	5814	26066.10
2009-10	5814	26066.10	3458.07	1824.93	6327	27699.24
2010-11	6327	27699.24	4067.91	3411.39	9429	28356.46
2011-12	9429	28356.46	2701.12	4482.15	9270	26575.43

गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार क्षतियों के कारण ₹ 68.12 करोड़ की राशि बकाया में (31 मार्च 2012 को) थी:

- गुजरात में क्षतियों के बकाये ₹ 47.72 करोड़ थे।
- हरियाणा में (फरीदाबाद एवं गुड़गांव के क्षे.का.), 1371 दोषी स्थापनाओं से ₹ 15.28 करोड़ की क्षतियां बाकी थीं।
- पंजाब में (चण्डीगढ़ के क्षे.का.), 702 दोषी स्थापनाओं से ₹ 5.12 करोड़ की क्षतियां बकाया थीं।

क.भ.नि.सं. ने बताया (नवम्बर 2012) कि अधिनियम के प्रावधानों के इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सक्रिय अनुवर्तन हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. से संबंधित गैर छूट-प्राप्त स्थापनाओं से जुर्माने के बकाये 2006-07 से 2011-12 में ₹ 443.65 लाख से बढ़कर ₹ 1371.90 लाख हो गये थे। विवरण नीचे की तालिका में हैं।

तालिका 4.5: जुर्मानों का उद्ग्रहण

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	दोषी स्थापनाओं की संख्या	उद्ग्रहणीय जुर्माने	उद्ग्रहित जुर्माने	गिरावट
2006-07	7546	2799.19	2355.54	443.65
2007-08	9105	4082.12	3129.99	952.13
2008-09	7286	7666.87	6279.28	1387.59
2009-10	9918	3127.33	1982.63	1144.70
2010-11	15949	13397.98	7764.13	5633.85
2011-12	8176	3603.02	2231.12	1371.90

4.6 न्यासी मंडल (न्या.मं.) को छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निधियों का अंतरण

4.6.1 निधियों का अंतरण

क.पे.नि. योजना 1952 के अनुसार, छूट-प्राप्त स्थापनाओं के लिए, नियोक्ता द्वारा अपने न्यासी मंडल (न्या.मं.) को अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित दरों पर, जिस माह के लिए अंशदान होना है उसकी 15वीं तारीख तक, भविष्य निधि में स्वयं के एवं कर्मचारियों के अंशदान का अंतरण करना होगा। नियोक्ता को, अधिनियम की धारा 7-थ के प्रावधानों के अनुसार न्या.मं. को बकायों के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के लिए साधारण ब्याज अदा करना होगा। नियोक्ता द्वारा अथवा न्यासी मंडल द्वारा छूट प्राप्ति हेतु शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में, दी गयी छूट रद्द की जा सकती है।

मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा केरल के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि छूट-प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं ने अपने संबंधित न्यासी मंडलों के पास ₹ 129.20 करोड़¹ जमा नहीं कराया था।

स्थापनाओं द्वारा संबंधित न्यासी मंडलों को निधियों का अंतरण नहीं करना दर्शाता है कि स्थापना छूट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। क.भ.नि.सं. ने इन दोषी स्थापनाओं की छूट को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

क.भ.नि.सं. ने बताया (नवम्बर 2012) कि नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

¹ मध्य प्रदेश ₹ 17.67 करोड़, पश्चिम बंगाल ₹ 62.84 करोड़, राजस्थान ₹ 45.43 करोड़, केरल ₹ 3.26 करोड़।

4.6.2 न्या.मं. द्वारा गैर-निवेशित निधियाँ

छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी मंडलों (न्या.मं.) द्वारा एकत्रित निधियों का, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीकों में प्रत्येक माह निवेश करना अपेक्षित था। सरकार के निर्देशानुसार निवेश करने में विफलता न्या.मं. को अतिरिक्त प्रभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाएगी।

यह देखा गया कि पाँच राज्यों के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में 249 छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा ₹ 299.78 करोड़ की राशि का निवेश नहीं किया था, जिसका विवरण निम्न अनुसार है (31 मार्च 2012)।

तालिका 4.6: न्या.मं. द्वारा निवेश नहीं की गयी निधियों के विवरण

राज्य	स्थापनाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
ओडिशा	21	5.76
केरल	161	73.84
गुजरात	46	5.86
छत्तीसगढ़	5	211.24
पंजाब	16	3.08
कुल	249	299.78

निधियों का निवेश नहीं किया जाना छूट शर्तों का उल्लंघन करता था।

क.भ.नि.सं. ने बताया (नवम्बर 2012) कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे मामलों को, अधिनियम एवं योजना के प्रावधानों के प्रकाश में जांच करने एवं न्या.मं. जिन्होंने निधि को निवेशित किये बगैर अपने पास रखा के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

4.6.3 छूट के रद्द होने के पश्चात छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निधि में एकत्रित शेषों का अंतरण

योजना के पैरा 28(1) (ii) के अनुसार, छूट-प्राप्त स्थापनाओं को, छूट के रद्द होने के पश्चात सारी संचित राशि को, छूट के रद्द होने के दस दिनों के अंदर, अंशदाताओं के नामे अंतरित करना अपेक्षित था।

यह देखा गया था कि क्षे.का. कोलकाता में 86 स्थापनाओं के छूट के रद्दीकरण के पश्चात भी, 42 स्थापनाओं के पास संचित ₹ 97.38 करोड़ की संचित राशि एक से पाँच वर्ष तक अंतरित नहीं की गयी थी।

4.7 चूक की स्थिति में नियोक्ताओं से बकायों का विचार

अधिनियम की धारा 7क संगठन को इस अधिनियम, योजना अथवा पेंशन योजना अथवा बीमा योजना के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी नियोक्ता से बकाया राशि निश्चित करने की शक्ति देता है और वह आवश्यकतानुसार जैसा वह उचित समझे वैसी जाँच करवा सकता है। तदनुसार, क.भ.नि.सं. भविष्य निधि बकायों को निर्धारित करता है और दोषियों के प्रति मांग को बढ़ाता है। इन प्रावधानों के अंतर्गत प्रक्रियाएं अर्द्ध-न्यायिक होती हैं।

क.भ.नि.का. मुख्यालय ने (जनवरी 2009) प्रत्येक आकलन अधिकारी हेतु धारा 7क के अंतर्गत 50 मामलों के न्यूनतम निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अतिरिक्त, सभी मामलों को तीन माह के अंदर अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित था, और किसी भी मामले को छः माह से अधिक तक लंबित नहीं रहना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा गोवा राज्यों में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में देयताओं के निर्धारण हेतु लंबित मामलों की संख्या मार्च 2007 के 7324 से बढ़कर मार्च 2010 में 11850 हो गयी थी जो तदुपरांत आगामी दो वर्षों के दौरान घटकर 7089 रह गयी।

31 मार्च 2012 तक 7089 मामलों में देयताओं के निर्धारण में विलंब का विस्तार निम्नानुसार था:

तीन माह तक विलम्ब	847 मामले
3-6 माह तक विलम्ब	1833 मामले
6 माह से अधिक विलम्ब	4409 मामले

इस प्रकार दोषियों की ओर से देयताओं के निर्धारण हेतु मामलों में लगातार लंबमानता थी।

मामला अध्ययन - कर्नाटक (क्षे.का. बंगलौर)

मैसर्स के.एस.आर.टी.सी. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, शान्ति नगर, बंगलौर (कोड सं. 41318) 30 सितम्बर, 1987 से ही शामिल किया गया था। के.एस.आर.टी.सी. ने क.भ.नि. अधिनियम, 1952 के अंतर्गत संस्थान को शामिल करने के विरुद्ध अपील किया था जो जनवरी 2000 में खारिज हो गया था। तथापि, शामिल किये जाने के बाद से ही इकाई क.भ.नि. नियमावली एवं इसके प्रावधानों की अनुपालना नहीं कर रही थी। धारा 7क के अंतर्गत जनवरी 2006 में छः वर्षों के अंतराल के पश्चात सम्मन जारी किया गया था। तथापि, 31 मार्च 2012 तक सितम्बर 2011 में नोटिस जारी करने और दिसम्बर 2012 में एक स्थगन नोटिस जारी करने के अतिरिक्त आगे कोई प्रगति नहीं हुई। इस प्रकार, इकाई को शामिल किये जाने के 25 वर्षों के पश्चात भी देयताओं का निर्धारण नहीं हुआ था।

4.8 दोषियों से देयताओं की वसूली

जहाँ नियोक्ता से कोई राशि बकाये में हो, अधिनियम की धारा 8ख, 8ग तथा 8घ क.भ.नि.सं. को राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (रा.व.प्र.) जारी करने तथा कुर्की तथा नियोक्ता अथवा प्रतिष्ठान के चल अथवा अचल संपत्ति के विक्रय द्वारा वसूली की शक्ति देता है।

छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा पंजाब में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ (2006-07 से 2011-12 के दौरान कि):

- 14170 बैंक खाते जब्त किये गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 911.72 करोड़ के वसूली योग्य राशि के प्रति, केवल ₹ 182.07 करोड़ की ही वसूली हुई थी।
- ₹ 686.97 करोड़ मूल्य वाली 3353 संपत्तियों के प्रति केवल 259 संपत्तियाँ ही जब्त हुई और ₹ 5.50 करोड़ की राशि वसूल की गयी।

मामला अध्ययन: वसूली प्रक्रियाएं शुरू करने में विलम्ब

कर्नाटक (क्षे.का., बंगलौर)

मैसर्स इस्मार्ट ग्लोबल लि., बंगलौर (के.एन.23372): ₹ 2.16 करोड़। प्रतिष्ठान ने दिसम्बर 2007 से अक्टूबर 2003 तक उल्लंघन किया और ₹ 209.62 लाख की राशि वसूली योग्य थी। रा.व.प्र. अप्रैल 2010 में जारी किया गया था और अभियोजन फरवरी 2011 में शुरू हुआ। दिसम्बर 2012 के अंत तक ₹ 216.00 लाख की वसूली होनी शेष है।

मैसर्स लक्ष्मी वाटिका लि., वसंत विहार, नई दिल्ली: ₹ 3.85 करोड़। प्रतिष्ठान जून 2006 से अप्रैल 2007 की अवधि के लिए क.भ.नि. बकाये जमा कराने में असफल रहा। दिसम्बर 2009 में एक नोटिस प्रस्तुत किया गया था जिसके बाद अप्रैल 2010 में ₹ 3.85 करोड़ के लिए रा.व.प्र. जारी किया गया। तदुपरांत, प्रतिष्ठान का पता नहीं लगाया जा सका और प्रतिष्ठान का बैंक खाता बंद पाया गया। परिणामस्वरूप, राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

अध्याय-V: ग्राहकों के खातों का अनुरक्षण

5.1 खातों का अनुरक्षण

लेखांकन प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका क.भ.नि. योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठानों तथा कर्मचारियों के सदस्य मास्टर फाइलों के अनुरक्षण, भ.नि. सदस्यों के रूप में नामांकित कर्मचारियों के विवरणों तथा डाटा के अनुरक्षण, उनके समापन तथा नामांकन हेतु निर्धारित लेखांकन की प्रणाली की व्यवस्था करता है।

5.2 ऋणात्मक शेष

ग्राहकों के खाते एक विशेष तिथि को एकत्रित शेष दर्शाते हैं। सावधानी की दृष्टि से ग्राहकों के खाते सदैव धनात्मक होने चाहिए। तथापि, अभिलेखों के अंत शेषों की जाँच से ग्राहकों के खाते में निम्नानुसार ऋणात्मक शेष दिखायी दिये (31 मार्च 2012):

तालिका 5.1: ऋणात्मक शेषों के विवरण

राज्य	क्षे.का./उ.क्षे.का. के नाम	ऋणात्मक शेष वाले ग्राहक खातों की संख्या	इन खातों में ऋणात्मक शेषों की कुल राशि (₹ करोड़ में)
पंजाब	क्षे.का. चंडीगढ़	9341	10.23
पश्चिम बंगाल	क्षे.का. कोलकाता, उ.क्षे.का. पार्क स्ट्रीट	3776	6.27
ओडिशा	उ.क्षे.का. क्यॉंझर	160	0.04
मध्य प्रदेश	क्षे.का. इंदौर	19291	13.51
केरल	क्षे.का. तिरुवनंतपुरम	4541	1.60
कर्नाटक	क्षे.का. मंगलौर	3958	1.51
	क्षे.का. मैसूर	1236	0.63
गुजरात	क्षे.का. अहमदाबाद	27874	11.27
कुल		70177	45.06

ऋणात्मक शेष का दिखना खाते में उपलब्ध शेष से अधिक आहरण का संकेतक है। ग्राहक खातों से अप्राधिकृत आहरणों/अतिरिक्त भुगतान की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

क.भ.नि.का. ने बताया (सितम्बर 2012) कि फील्ड कार्यालयों को ऋणात्मक शेषों की पहचान एवं उनका निपटान करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, अधिभुगतान समिति को ऐसे ऋणात्मक शेषों के कारणों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। पदाधिकारियों की तरफ से किसी असावधानी के परिणामतः होने वाले किसी ऋणात्मक शेष के मामले में, संबंधित पदाधिकारी से वास्तविक राशि की वसूली की सिफारिश की गयी है।

5.3 खातों के अंतरण

जब कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ते हैं, क.भ.नि.का संबंधित क्षे.का./उ.क्षे.का. को शेषों के अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। लेखांकन प्रक्रिया (भाग IIक एवं ख) की नियम-पुस्तिका का पैरा 11.3 प्रावधान करता है कि स्थानांतरण आवेदन का यथासमय निपटान किया जाए और आवेदन के संपूर्ण रूप में प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अंतरण प्रभावी किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-12 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित राज्यों में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में, 81531 मामले में क्षे.का./उ.क्षे.का. से निधियों का अंतरण अन्य क्षे.का./उ.क्षे.का. को नहीं हुआ था। विवरण निम्नानुसार:

तालिका 5.2: मामलों की संख्या जहाँ निधियों का अंतरण नहीं हुआ

राज्य	मामलों की संख्या जहाँ निधियों का अंतरण नहीं हुआ
मध्य प्रदेश	6337
तमिलनाडु	43658
हरियाणा	11439
पंजाब	6667
गुजरात	7546
छत्तीसगढ़	929
पश्चिम बंगाल	4955
कुल	81531

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अकेले पश्चिम बंगाल (क्षे.का. कोलकाता) में ही, 2006-11 की अवधि में 4955 प्रतिष्ठानों से प्राप्त ₹ 665.63 करोड़ का अंशदान, क्षे.का./उ.क्षे.का. को अंतरित किया जाना अभी (जनवरी 2013) तक शेष था जिनके क्षेत्राधिकार में नये नियोक्ता पड़ते थे।

क.भ.नि.सं. ने अपने जवाब में (सितम्बर 2013) अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि आवेदन सॉफ्टवेयर में तथा प्रपत्र 13 (संशोधित) में किये गये हालिया परिवर्तन, एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज कर देंगे।

5.4 निष्क्रिय/अदावित जमा खाता

उस सदस्य से संबंधित कोई राशि, जो अब नियुक्त नहीं है अथवा मृत है परंतु तीन वर्ष तक कोई दावा नहीं किया गया, जो नवीनतम पते के अभाव में भेजी न जा सकी, अथवा प्रेषित की गयी परंतु वापस प्राप्त हुई राशि को निष्क्रिय खाते (क.भ.नि. योजना का पैरा 72(6)) में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता ट्रेड यूनियनों के माध्यम से, यथाशीघ्र देयताओं के वितरण हेतु (लेखांकन प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका भाग II क एवं ख का पैरा 6.5.4) आदाता से संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि निष्क्रिय/अदावित जमा खातों के शेष राशि अप्रैल 2006 के ₹ 332.14 करोड़ से नौ गुणा बढ़कर मार्च 2012 में ₹ 2948.11 करोड़ हो गयी। विवरण नीचे दिये गये हैं:-

तालिका 5.3: अदावित जमाएं

(₹ लाख में)

वर्ष	अथ शेष	हस्तांतरित राशि	समायोजित राशि	अंत शेष
2006-07	33214.11	51.54	12222.16	21043.49
2007-08	21043.49	241.35	2288.47	18996.37
2008-09	18996.37	17207.64	5307.51	30896.50
2009-10	30896.50	24024.84	5680.79	49240.55
2010-11	49240.55	98287.71	31281.00	116247.26
2011-12	116247.26	190172.20	11608.81	294810.65

इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों की संख्या 2006-07 के 25,12,793 से बढ़कर 2011-12 में 73,00,262 हो गयी। इस प्रकार, 31 मार्च 2012 तक, क.भ.नि.सं. के पास उसके कुल 8.55 करोड़ खातों का 8.53 प्रतिशत निष्क्रिय खातों के रूप में था। विवरण नीचे दिये गये हैं।

तालिका 5.4: निष्क्रिय/अदावित खातों की संख्या

वर्ष	क्षेत्रीय स्तर	उप-क्षेत्रीय स्तर	कुल निष्क्रिय खाते
2006-07	1312395	1200398	2512793
2007-08	1752870	1248746	942632
2008-09	1358488	2599723	609718
2009-10	4905130	3726016	2298280
2010-11	6345082	6587634	3365348
2011-12	9416961	5356698	7300262

इस प्रकार, अदावित खातों तथा निष्क्रिय खातों में तीव्र वृद्धि दर्शाती है कि ग्राहकों की जमा राशि को समय से लौटाने या हस्तांतरित करने पर क.भ.नि.सं. पर्याप्त नियंत्रण नहीं था।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सदस्यों को उनकी निष्क्रिय राशि को निकालने अथवा अपने वर्तमान चालू खाते में हस्तांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक जनजागरूकता कार्यक्रम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रपत्र 13 (खातों के हस्तांतरण) तथा एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण (प्रपत्र-13) में भी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए परिवर्तन किया गया है।

अनुशंसा: क.भ.नि.सं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्क्रिय खातों की संख्या न्यूनतम की जाए, सतत निगरानी तथा नियंत्रण का एक तंत्र विकसित करे।

5.5 खातों का गैर-अद्यतन

यह अपेक्षित है कि खातों को नवीनतम योगों तथा आहरणों के साथ अद्यतित किया जाए, तथापि यह देखा गया कि क.भ.नि.सं. के पास ऐसे खातों की एक बड़ी संख्या है जो अद्यतित नहीं किये गये थे। 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान अद्यतित नहीं किये गये/अद्यतित खातों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 5.5: गैर अद्यतित खाते *

(आंकड़े: करोड़ में)

	31 मार्च 2007 तक	31 मार्च 2008 तक	31 मार्च 2009 तक	31 मार्च 2010 तक	31 मार्च 2011 तक	31 मार्च 2012 तक
खातों की कुल संख्या	8.37	7.55	10.11	11.25	13.35	17.01
अद्यतित खाते	5.25	3.94	5.85	6.53	6.07	16.62
गैर-अद्यतित खाते	3.12	3.61	4.26	4.72	7.28	0.39
कुल खतों के समक्ष गैर-अद्यतित खातों की प्रतिशतता	(37%)	(48%)	(42%)	(42%)	(55%)	(2%)

* क.भ.नि.सं. एक वर्ष के खाते को अद्यतन हेतु एक खाता मानता है।

इस प्रकार, इसके लाभार्थियों के खाते का एक बड़ा हिस्सा, अपर्याप्त सेवा को दर्शाते हुए, 2010-11 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में, अद्यतित होने से रह गये थे।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों (मार्च 2011) के आधार पर, क.भ.नि.सं. ने 2011-12 के दौरान 16.62 करोड़ खाते अद्यतित किये थे। अभी भी, 31 मार्च, 2012 तक 38.74 लाख खाते अद्यतित नहीं हुए।

क.भ.नि.सं. ने बताया (सितम्बर 2013) कि वित्त मंत्रालय तथा नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियों पर विचार करने के बाद इसने वर्ष 2011-12 के दौरान अपने सभी लंबित खातों को 31 मार्च 2012 तक अद्यतित करने का एक विशेष अभियान शुरू किया है। विशेष अभियान तथा केन्द्रित प्रयासों के कारण, वर्ष 2010-11 तक के लिए बहुसंख्यक सदस्यों के खाते अद्यतित कर लिए गए थे जिससे 31 मार्च 2013 तक केवल 5.58 लाख खाते ही शेष रह गये थे।

अनुशंसा: ग्राहकों के खातों का अद्यतन नियमित आधार पर किया जाए।

निष्कर्ष

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, का उद्देश्य कर्मचारी पेंशन योजना (क.पें.यो.) तथा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (क.ज.सं.बी.) योजना के साथ मिलकर कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अतः यह आवश्यक है कि उन सभी प्रतिष्ठानों को, जो क.पें.यो अधिनियम की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, इसकी परिधि के अंदर अविलंब लाया जाए। क.भ.नि.सं. इसे सर्वेक्षणों एवं निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। इस संबंध में उल्लेखनीय कमियाँ देखी गयी थीं। साथ ही, क.भ.नि.सं. इसके योजनाओं के स्वैच्छिक आवृत्ति की ओर बहुत अधिक प्रोत्साहक नहीं था।

ब्याज उचंत खाता शेष, मार्च 2012 तक लगभग 38.74 लाख ग्राहक खातों के अद्यतन होने के अभाव में, ग्राहकों को ब्याज के रूप में विवरण हेतु उपलब्ध राशि की सही स्थिति नहीं दर्शाता है। आगे 70,000 से अधिक ग्राहक खाते ऋणात्मक शेषों को दर्शाते थे, जो अतिरिक्त आहरण के द्योतक थे। ये अपने ग्राहकों को अपर्याप्त सेवा के द्योतक थे। इसकी आय योजना के परिचालन पर होने वाले व्यय से सतत रूप से अधिक थी। क.भ.नि.सं., वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश के स्वरूप का भी पालन नहीं कर रहा था।

क.भ.नि.सं. में राजस्व संग्रहण प्रक्रियाएं त्रुटिपूर्ण थीं। देयताओं के निर्धारण में बकाये, गैर छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों के ऊपर वसूली-योग्य बकाया राशि, छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों से प्राप्त निगरानी प्रभार काफी अधिक थे।

छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों ने उनके न्या.मं. को क.पें.यो. की एकत्रित राशि को हस्तांतरित किया और न्या.मं. ने उनके पास हस्तांतरित राशि का निवेश किया, क.भ.नि.सं. का अपेक्षित नियंत्रण नहीं था।

योजना के कार्यान्वयन की अधिकतर कमियाँ, जो इस प्रतिवेदन में शामिल की गयी हैं, कार्रवाई टिप्पण के माध्यम से लो.ले.स. को दिये गये पूर्व आश्वासन के बावजूद भी बनी हुई हैं।

ए. के. पल.

नई दिल्ली
दिनांक: 13 जनवरी 2014

(ए.डब्ल्यू.के. लेंगस्टीह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली
दिनांक: 20 जनवरी 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

पैरा 1.6 के संदर्भ में

लेखापरीक्षा हेतु चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या	उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या	चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	चयनित उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	चयनित उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम
1	आन्ध्र प्रदेश	3	8	2	6	हैदराबाद, गुंटूर	कुकटपल्ली, पतनचेरु, सिद्दीपेट, विशाखापट्टनम, राजामुंदरी, कडापा
2	बिहार	1	2	1	2	पटना	मुजफ्फरपुर, भागलपुर
3	छत्तीसगढ़	1		1		रायपुर	
4	दिल्ली	2	1	2	1	दिल्ली (उत्तर) तथा दिल्ली (दक्षिण)	लक्ष्मीनगर
5	गुजरात	3	5	1	1	अहमदाबाद	राजकोट
6	हरियाणा	2	2	2	1	फरीदाबाद, गुड़गांव	करनाल
7	झारखण्ड	1	1	1	1	रांची	जमशेदपुर
8	कर्नाटक	4	10	2	2	बंगलूर, मंगलूर	मैसूर, चिकमगलूर
9	केरल	1	5	1	5	तिरुवनंतपुरम	कोजीकोड, कोच्ची, कोलाम, कोट्टायम तथा कन्नूर
10	मध्य प्रदेश	1	5	1	5	इन्दौर	ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर तथा सागर
11	महाराष्ट्र	5	6	2	1	बान्द्रा, ठाणे	वाशी
12	ओडिशा	1	3	1	3	भुवनेश्वर	राउरकेला, बेहरामपुर, क्योँझार
13	पंजाब	2	3	2	3	चण्डीगढ़, लुधियाना	भटिण्डा, अमृतसर, जालंधर

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या	उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या	चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	चयनित उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	चयनित उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम
14	तमिलनाडु	4	7	2	3	चैन्नई, कोयम्बटूर	अम्बाटूर, सालेम, त्रिची
15	उत्तर प्रदेश	2	7	1	4	कानपुर	वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली
16	पश्चिम बंगाल	2	8	2	8	कोलकाता, जलपाईगुड़ी	पार्कस्ट्रीट, बैरकपुर, दुर्गापुर, हावड़ा, पोर्टब्लेयर, सिलीगुड़ी, दार्जीलिंग तथा जांगीपुर
17	गोवा	1	0	1		गोवा	-
18	राजस्थान	1	3	1	3	जयपुर	कोटा, उदयपुर तथा जोधपुर
19	गुवाहाटी (उ.पू.क्षे.)	1	3	-	-	-	-
20	हिमाचल प्रदेश		-	-	-	-	-
21	उत्तराखण्ड	1	1	-	-	-	-
	कुल	40	80	26	49		